न्यायाः-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

ALINATA PAROTA SU

समक्ष – वीरेन्द्र सिंह राजपूत विशेष सत्र प्रकरण क0 98/2011 विद्युत संस्थापन दिनांक-08-09-2011

 मध्यप्रदेश म0क्षे0विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मालनपुर, जिला भिण्ड म0प्र0 द्वारा:– श्री हरीश मेहता कनिष्ठ यंत्री
परिवादी

ब-ना-म

- 1 शहजाद खॉन पुत्र लाल खॉन, उम्र 78 वर्ष।
- 2 इरसाद खॉन पुत्र शहजाद खॉन, उम्र 25 वर्ष, निवासीगण माधव नगर पहाडिया मालनपुर, थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

......अभियुक्तगण

परिवादी द्वारा ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता। अभियुक्तगण द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता।

/ / नि र्ण य /-/

(आज दिनांक 24-05-2017 को घोषित किया गया)

01. आरोपीगण को परिवादी कम्पनी द्वारा दिए गए विद्युत कनेक्शन कमांक 71–1–4686 डी.एल. घरेलू प्रकश हेतु दिया गया था पर विद्युत विल की बकाया राशि 72,941/ — रूपए जमा न करने के कारण दिनांक 18.06.2011 को उक्त कनेक्शन अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जिसे दिनांक 05. 07.2011 को चैकिंग के समय उनके द्वारा अनाधिकृत रूप से जोडकर विद्युत का उपयोग करते हुए पाए जिस संबंध में उनके विरुद्ध धारा 138 (1) ख विधुत अधिनियम 2003 के अपराध के संबंध में आरोप लगाया गया है।

03. परिवाद प्रस्तुत करने पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138(1)ख के अंतर्गत अपराध पाये जाने से आरोप आरोपित कर पढ़कर सुनाया, समझाया गया तो आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उनका अभिवाक अंकित किया गया तत्पश्चात् परिवादी की ओर से साक्षी हरीश मेहता प०सा० 1, अखिलेश तिवारी प०सा० 2, रामजीलाल प०सा० 3, पी०के०शर्मा प०सा० 4, का परीक्षण कराया गया। परिवादी साक्ष्य उपरांत दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए अपने आपको झूटा फंसाया जाना व्यक्त किया।

- 04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते है :
 - 01. क्या आरोपीगण ने विद्युत कनेक्शन कमांक 71-1-4686 डी.एल को विच्छेदित करने के बाद भी अनाधिकृत रूप से परिवादी कम्पनी की विजली का उपयोग किया?
 - 02. दण्डादेश यदि कोई हो?

उ प्र०कं० ९८ ∕ २०११ विद्युत

//साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष//

- 05. प्रकरण में परिवाद हरीश मेहता प0सा0 1 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। घटना के संबंध में यदि साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 के कथनों का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी का अपने कथनों में कहना रहा है कि वह दिनांक 05.07.2011 को विद्युत वितरण केन्द्र मालनपुर में किनष्टयंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को करीब 11:30 बजे वह माधव नगर मालनपुर निरीक्षण के लिए गया था तो उसने पाया कि अरोपी शहजाद खॉन का विद्युत कनेक्शन क्रमांक 71–1–4686 डी.एल. जिस पर 72,941/– रूपए की राशि बकाया थी और बकाया राशि होने के कारण उक्त कनेक्शन को दिनांक 18. 06.2011 को काटा गया था, किन्तु निरीक्षण के दौरान कटा हुआ कनेक्शन चालू हालत में पाया गया था। उस समय उसके साथ कुलदीप श्रीवास्तव, रामजीलाल एवं अखिलेश तिवारी थे। तत्पश्चात् आरोपी के पुत्र इरशाद खॉ एवं उक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में प्र.पी. 1 का पंचनामा बनाया गया था, जिस पर इरशाद खॉन के हस्ताक्षर कराए थे।
- 06. घटना के संबंध में साक्षी अखिलेश तिवारी प0सा0 2, रामजीलाल प0सा0 3 ने अपने कथनों में साक्षी हरीश मेहता प0सा0 1 के कथनों की पुष्टि करते हुए यह कथन किया है कि आरोपी के नाम से विद्युत कनेक्शन पर 72941/— रूपए की राशि बकाया होने के कारण काट दिया गया था, किन्तु उसके उपरांत भी आरोपी अनाधिकृत रूप से विद्युत कनेक्शन जोडकर बिजली का उपयोग कर रहा था।
- 07. साक्षी पी०के० शर्मा प०सा० 4 के द्वारा आरोपी को नोटिस भेजा गया है, जिसे आरोपी के पुत्र इरशाद खॉन पर तामीली होनी दर्शाई गई है। प्रकरण में प्रस्तुत नोटिस प्र.पी. 2 व 3 पर आरोपी के पुत्र इरशाद खॉन के हस्ताक्षर होने संबंधी आधार लिए गए है। हालांकि इरशाद के अधिकृत हस्ताक्षर रिकार्ड पर नहीं है, किन्तु यदि इस संबंध में साक्षी पी०के० शर्मा अ०सा० 4 के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन

4 प्र०कं० 98/2011 विद्युत

किया जाए तो इस साक्षी को प्रतिपरीक्षण के दौरान इस आशय की चुनौती दी गई है कि प्र.पी. 2 व 3 का नोटिस आरोपी शहजाद को नहीं दिया गया है, किन्तु इस साक्षी को प्रतिपरीक्षण के दौरान इस आशय की चुनौती नहीं दी गई है कि आरोपी के पुत्र इरशाद को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही इस तथ्य को भी चुनौती नहीं दी गई है कि प्र.पी. 2 व 3 के नोटिस पर इरशाद के हस्ताक्षर नहीं है।

- 08. प्रकरण में परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षी विद्युत कनेक्शन कमांक 71—1—4686 डी.एल. आरोपी शहजाद खॉन के होने संबंधी कथन करते है। प्रतिपरीक्षण के दौरान इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गई है कि उक्त विद्युत कनेक्शन आरोपी शहजाद धारित नहीं करता था। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि प्र.पी. 1 का पंचनामा आरोपी के पुत्र इरशाद खॉन के समक्ष बनाए जाने के कथन करते है। साथ ही इस आशय के कथन करते है कि प्र.पी. 1 के पंचनामा में आरोपी के पुत्र इरशाद खॉ ने हस्ताक्षर किए थे। ऐसी स्थित में परिवादी साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण रिकार्ड पर नहीं है कि निरीक्षण दिनांक 05.07.2011 को जब निरीक्षण दल आरोपी के घर पर पहुँचा तो कटा हुआ विद्युत कनेक्शन के पश्चात् भी आरोपीगण अनाधिकृत रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे।
- 09. साक्षियों के कथनों में यह तथ्य आया है कि मोके पर पंचनामा बनाते समय आरोपी इरशाद मौके पर उपस्थित था, जिसके पंचनामे पर हस्ताक्षर होने संबंधी कथन भी किए गए है। आरोपी इरशाद पर प्र.पी. 3 का सूचनापत्र तामील हुआ है जो कि वहीं पता है जो आरोपी शहजाद खाँ का है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि आरोपी इरशाद भी उसी आवास में निवास करता है जिसमें आरोपी शहजाद निवास करता है, जिससे ऐसा दर्शित होता है कि आरोपी शहजाद ने आरोपी इरशाद को उक्त अवैध विद्युत कनेक्शन संयोजित करने के दुष्प्रेरित किया, क्योंकि निश्चित रूप से विद्युत कनेक्शन कटने की जानकारी इरशाद को अवश्य रही होगी।
- 10. प्रकरण में परिवादी की ओर से विद्युत अधिनियम 2003 की धरा 138 के अपराध के संबंध में परिवादपत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादी की ओर से प्र.पी. 1 के पंचनामे में यह आधार लिया गया है कि निरीक्षण के दौरान कुल भार 830 वाट का चालू पाया गया, किन्तु उक्त भार से परिवादी

5 प्र०कं० 98/2011 विद्युत

कम्पनी को कितनी राशि की आर्थिक क्षित कारित हुई न तो इसका कोई निर्धारण किया गया है, न ही गणना पत्रक तैयार किया गया है और न ही साक्षियों के कथन रहे है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य रिकार्ड पर है जिससे परिवादी कम्पनी को हुई आर्थिक क्षिति के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सके।

- 11. अतः उपरोक्त निष्किषित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में परिवादी प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी शहजाद विद्युत कनेक्शन क्रमांक 71—1—4686 डी.एल. धारित करता था जिस पर बकाया राशि होने के कारण उसे विच्छेदित कर दिया गया। प्रकरण में यह भी प्रमाणित पाया गया है कि आरोपी शहजाद के साथ उसका पुत्र इरशाद भी उसी मकान में निवास करता था। आरोपीगण ने विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने के उपरांत भी आपराधिकृत रूप से विद्युत लाइन को संयोजित कर विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया।
- 12. अतः आरोपीगण शहजाद खाँ एवं इरशाद खाँ को विद्युत अधिनियम की धारा 2003 की धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।
- 13. दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय लेखन कुछ समय के स्थगित किया जाता है।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

पुनश्चय:-

14. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री के०पी०राठौर को सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण की प्रथम दोषसिद्धि है, उनकी कोई पूर्व की दोषसिद्धि रिकार्ड पर नहीं है। अतः उन्हें न्यूनत्म दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

6 प्र०कं० ९८ / २०११ विद्युत

- 15. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए०के० श्रीवास्तव का कहना है कि वर्तमान में विद्युत चोरी की घटनाएं बढ़ रही है और विद्युत चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दंडित किया जावे।
- 16. उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। अतः प्रकरण की परिस्थितियाँ एवं उभय पक्ष के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 5000/- 5000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।
- 17. आरोपीगण का निरोध के निरोध के संबंध में धारा 428 जा0फी0 का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।
- 18. आरोपीगण जमानत पर है अतः उनके जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते है।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया) मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत) विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0